समक्ष विनी मित्तल और एच.एस. भल्ला, जे.जे.

मांगे राम शैक्षिक एवं धर्मार्थ ट्रस्ट (रैजिस्टर्ड) – *याचिकाकर्ता*

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य – *उत्तरदाताओं*

सीडब्ल्यूपी संख्या 14105 साल 2006

12 सितंबर, 2006

भारत का संविधान, 1950 – अनुछेद 226 – राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993– धारा 14, 15 और 16– याचिकाकर्ता द्वारा बी.एड पाठ्यक्रम चलाने के लिए एक नया कॉलेज शुरू करने के लिए मान्यता और अनुमति के लिए आवेदन किया गया – एनसीटीई बीएड कोर्स शुरू करने के लिए सशर्त मान्यता देती है – याचिकाकर्ता सभी शर्तों को पूरा करता है – राज्य सरकार फिर भी इस आधार पर 'एनओसी' नहीं दे रही कि कॉलेज के पास कॉलेज चलाने के लिए अलग भवन नहीं है – 1993 के अधिनियम के प्रावधानों के मद्देनजर एक बार एनसीटीई द्वारा निर्णय लेने पर *इसे सभी अधिकारियों द्वारा लागू किया* जाएगा– *राज्य सरकार याचिकाकर्ता को अनुमति देने के निर्णय के साथ हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी– विश्वविद्यालय को याचिकाकर्ता द्वारा B.Ed पाठ्यक्रम के लिए संचालित संस्थान में संबद्धता प्रदान करने का निर्देश देते याचिका को अनुमति दी गई।*

निर्णीत, अधिनियम की धारा 14 और 15 के संदर्भ में याचिकाकर्ता ट्रस्ट ने B.Ed पाठ्यक्रम को चलाने के लिए एक नए कॉलेज को मान्यता और अनुमति देने के लिए विधिवत आवेदन किया था। याचिकाकर्ता ट्रस्ट / कॉलेज द्वारा नियत औपचारिकताओं को पूरा करने, और बुनियादी ढांचे और अन्य सभी आवश्यकताओं से संतुष्ट होने के बाद, याचिकाकर्ता ट्रस्ट को दिनांक 27 अगस्त, 2006 सशर्त

मान्यता दी गई। एकमात्र आवश्यकता जिसके अधीन उक्त मान्यता दी गई थी, वह यह थी कि याचिकाकर्ता कॉलेज को विधिवत गठित समिति द्वारा एनसीटीई संबद्धता के मानदंडों के अनुसार कर्मचारियों की नियुक्ति करनी होगी और अपेक्षित योग्यता विश्वविद्यालय एवं क्षेत्रीय समिति को शपथ पत्र के साथ हस्ताक्षरित प्रति भेजकर मिनटों के बारे में सूचित करना होगा। यह विवाद में नहीं है कि उपरोक्त शर्त के अनुसरण में याचिकाकर्ता ट्रस्ट ने विश्वविद्यालय से अनुरोध किया और विश्वविद्यालय के दो नामांकित व्यक्तियों के नामांकन पर, उपरोक्त चयन समिति ने कर्मचारियों का विधिवत चयन और नियुक्ति की। यह तथ्य विश्वविद्यालय के विवाद में भी नहीं है। इस प्रकार, केवल शर्त जिसके अधीन मान्यता दी गई थी उसे पूरा किया गया।

(पैरा 19)

आगे निर्णीत, अधिनियम और विनियमों के प्रावधानों के तहत राज्य सरकार आवेदक द्वारा दायर आवेदन की प्रति भेजे जाने के बाद मान्यता/अनुमति देने पर आपत्ति उठाने के लिए अधिकृत है। पूर्वोक्त आपत्ति को एनसीटीई भेजे जाने की की आवश्यकता है। एनसीटीई को पूर्वोक्त आपत्ति को ध्यान में रखना होगा किन्तु उसे मानना या न मानने की उन पर कोई पाबंधी नहीं है। मामले में उपरोक्त आपत्ति एनसीटीई द्वारा स्वीकार नहीं की जाती है और अधिनियम की धारा 14 और 16 के संदर्भ में अनुमति / मान्यता दे दी जाती है, तो फिर राज्य सरकार की कोई और भूमिका नहीं होगी।

(पैरा 21)

राजीव आत्मा राम, अमन चौधरी के साथ वरिष्ठ वकील, अधिवक्ता, *याचिकाकर्ताओं के लिए.*

अशोक जिंदल, अतिरिक्त महाधिवक्ता, हरियाणा के साथ अजय गुलाटी, सहायक महाधिवक्ता, हरियाणा, *प्रतिवादी सं. 1 के लिए*

बलराम गुप्ता, शिरीश गुप्ता, एडवोकेट के साथ वरिष्ठ वकील
प्रतिवादी सं. 2 के लिए

निर्णय

विनी मित्तल, माननीय न्यायाधीश

(1) याचिकाकर्ता ट्रस्ट ने इस न्यायालय को महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक को निर्देशों जारी करने के लिए प्रतिवादी नंबर 2 बनाया है ताकि वह याचिकाकर्ता द्वारा B.Ed पाठ्यक्रम के लिए संचालित कॉलेज को सत्र 2006-07 के लिए संबद्धता प्रदान कर सके। वित्तीय आयुक्त और प्रधान सचिव, विभाग के माध्यम से हरियाणा राज्य शिक्षा, को भी अनुदान के लिए प्रतिवादी सं. **1** के रूप में किसी अन्य उपयुक्त राहत के लिए रखा गया है।

(2) याचिकाकर्ता एक धर्मार्थ और शैक्षिक के रूप में पंजीकृत ट्रस्ट है और सोनीपत में एक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चला रहा है। याचिकाकर्ता ट्रस्ट द्वारा यह भी निवेदन किया गया है कि उसके पास सोनीपत में 6 एकड़ भूमि भी है। याचिकाकर्ता ट्रस्ट ने उक्त भूमि का उपयोग बदल कर उसे शैक्षिक उद्देश्यों के उपयोग के लिए कर दिया। सी.बी.एस.ई. मानदंड के अनुसार न्यूनतम 2 एकड़ भूमि एक माध्यमिक विद्यालय को चलाने के लिए आवश्यक होती है। याचिकाकर्ता ट्रस्ट ने यह दावा कि वह सोनीपत में तीन एकड़ भूमि पर साउथ प्वाइंट पब्लिक स्कूल के नाम के तहत एक स्कूल चला रहा है। यह भी कहा गया कि पूर्वोक्त स्कूल की एक अलग इमारत है जिसका उपयोग विशेष रूप से उक्त स्कूल को चलाने के लिए किया जा रहा है।

(3) चूंकि याचिकाकर्ता ट्रस्ट सोनीपत में शेष तीन एकड़ भूमि पर बी.एड कॉलेज खोलना चाहती थी, इस वजह से उन्होने 15

दिसंबर, 2005 के प्रमाणपत्र द्वारा अनापत्ति अनुदान के लिए हरियाणा राज्य से अनुरोध किया। आवश्यक पूर्वोक्त उद्देश्य के लिए 25,000 रुपये और अन्य सभी दस्तावेजों को आवेदन पत्र के साथ जोड़ा गया था। उपरोक्त दस्तावेज़ कॉलेज की व्यवहार्यता, जमीन का मालिकाना हक दिखाते हुए सी.एल.यू. प्रमाणपत्र, साइट योजना/ भवन की तस्वीरों, निधि विवरण आदि के साथ भवन योजना के दस्तावेज़ थे । याचिकाकर्ता ट्रस्ट द्वारा दायर पूर्वोक्त आवेदन के अनुसरण में 23 दिसंबर, 2005 को याचिकाकर्ता ट्रस्ट के पक्ष में हरियाणा राज्य द्वारा एक आशय पत्र जारी किया गया था। उक्त आशय पत्र को वर्तमान याचिका के साथ अनुलग्नक P.1 के रूप में संलग्न किया गया है।

(4) उपरोक्त आशय पत्र के अनुसरण में, याचिकाकर्ता ने राज्य सरकार के ध्यान में लाया कि उसने पहले ही सभी बुनियादी सुविधाएं विकसित कर ली थी और दिशानिर्देशों के अनुसार अपेक्षित भवन का निर्माण पहले ही कर लिया था। नतीजतन, याचिकाकर्ता ट्रस्ट ने राज्य सरकार से बुनियादी ढांचे और अन्य सुविधाओं का निरीक्षण/भौतिक सत्यापन करने के लिए एक निरीक्षण दल नियुक्त करने का अनुरोध किया। उपलब्ध कॉलेज/ट्रस्ट द्वारा किए गए उपरोक्त अनुरोध के अनुसरण में, हरियाणा राज्य द्वारा एक निरीक्षण दल नियुक्त किया गया, जिसने 25 दिसंबर, 2005 को कॉलेज के बुनियादी ढांचे और भवन का निरीक्षण किया।

(5) हालाँकि, उपरोक्त निरीक्षण के बावजूद निरीक्षण दल द्वारा अभी तक महाविद्यालय के पक्ष में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है और न ही उसे अभी तक अस्वीकृत किया गया है। याचिकाकर्ता ट्रस्ट ने कहा है कि बी.एड कॉलेज की स्थापना राष्ट्रीय शिक्षक-शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 (इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित) और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों द्वारा शासित होती है। याचिकाकर्ता ट्रस्ट का कहना

है कि उपरोक्त नियमों के अनुसार, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (इसके बाद एनसीटीई के रूप में संदर्भित) की मंजूरी के लिए आवेदन करने वाले कॉलेज को राज्य सरकार से एनओसी की आवश्यकता नहीं है। जब भी इस संबंध में कोई आवेदन एनसीटीई को प्राप्त होता है, तो उसकी एक प्रति राज्य सरकार को भेजी जाती है, जिसे प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर उक्त आवेदन पर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करनी होती है। यदि राज्य सरकार नकारात्मक अनुशंसा करती है, तो उसे विस्तृत कारण और आधार बताना आवश्यक है। उक्त कारणों पर एनसीटीई द्वारा विचार किया जाता है और उसके बाद अधिनियम और विनियमों के प्रावधानों के अनुसार निर्णय लिया जाता है। हालाँकि, यदि 60 दिनों की अवधि के भीतर राज्य सरकार से कोई संचार प्राप्त नहीं होता है, तो एक अनुमान लगाया जाता है राज्य सरकार के पास करने के लिए कोई अनुशंसा नहीं है।

(6) याचिकाकर्ता ट्रस्ट ने 23 दिसंबर, 2005 को राज्य सरकार द्वारा आशय पत्र प्राप्त होने पर, याचिकाकर्ता ने 24 जनवरी, 2006 को एनसीटीई के समक्ष अधिनियम की धारा 14(1), 15(1) के तहत एक आवेदन दायर कर मान्यता मांगी। उक्त आवेदन के साथ, याचिकाकर्ता ट्रस्ट ने 40,000, रुपये का आवेदन शुल्क, राज्य सरकार की एलओआई, भूमि दस्तावेज, अनुमोदित भवन योजनाएं, बंदोबस्ती निधि और अन्य आवश्यक दस्तावेजों के लिए 5 लाख रुपये की सावधि रसीदें जमा की। याचिकाकर्ता ट्रस्ट द्वारा यह दावा किया कि याचिकाकर्ता ट्रस्ट द्वारा दायर उपरोक्त आवेदन के अनुसरण में, एनसीटीई ने कॉलेज परिसर का निरीक्षण भी किया। कॉलेज के पास मौजूद भवन और बुनियादी ढांचे से संतुष्ट होने पर, याचिकाकर्ता द्वारा स्थापित कॉलेज को शैक्षणिक सत्र 2006-07 के लिए बी.एड पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए 27 अगस्त, 2006 एक विज्ञप्ति के माध्यम से सशर्त मान्यता प्रदान की गई। उपरोक्त संचार को वर्तमान याचिका के साथ अनुबंध पी.5 के रूप में जोड़ा गया है। उपरोक्त संचार

अनुलग्नक पी.5 के अवलोकन से पता चलता है कि याचिकाकर्ता ट्रस्ट द्वारा प्रस्तावित साउथ प्वाइंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन पुरखास रोड, नियर शुगर मिल, सोनीपत क्रमांक 3 पर सूचीबद्ध है और उक्त को निम्नलिखित शर्तों के अधीन मान्यता प्रदान की गई है:

"एनसीटीई और संबद्ध विश्वविद्यालय के मानदंडों और मानकों के अनुसार अपेक्षित योग्यता के साथ विधिवत गठित चयन समिति द्वारा कर्मचारियों की नियुक्ति करें और एक शपथ पत्र के साथ कार्यवृत्त की हस्ताक्षरित प्रति भेजकर क्षेत्रीय समिति को सूचित करें। "

(7) उपरोक्त सशर्त मान्यता की एक प्रति भी संबंधित विश्वविद्यालयों, संबद्ध निकायों के रजिस्ट्रार को इस निर्देश के साथ भेझी गई कि संबद्ध निकाय/विश्वविद्यालय एनसीटीई के नियमों और सत्र 2006-07 प्रारंभ होने से पहले एनसीटीई के नियम/विनियम का पालन करेगा और अपेक्षित संकाय/कर्मचारियों आदि के चयन के संदर्भ में आगे की आवश्यक कार्रवाई भी करेगा। । उपरोक्त संचार की एक प्रति सरकार के शैक्षिक सचिव को भी भेज दी गई है ताकि निकाय/विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2006-07 शुरू होने से पहले संबद्धता द्वारा आवश्यक अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

(8) याचिकाकर्ता कॉलेज को सशर्त मान्यता मिलने के बाद उसने महर्षिदयानंद विश्वविद्यालय से कर्मचारियों के चयन के लिए सदस्यों का नामांकन करने का इसके लिए अनुरोध किया। याचिकाकर्ता कॉलेज के उपरोक्त अनुरोध के अनुसरण में, प्रतिवादी विश्वविद्यालय ने शिक्षा के डीन डॉ. के.एस. सांगवान और स्टाफ के चयन के लिए डॉ. एन.के. बंसल, प्रिंसिपल, हिंदू कॉलेज ऑफ एजुकेशन, सोनीपत को नियुक्त किया। विश्वविद्यालय के उपरोक्त दो नामांकित व्यक्तियों ने ट्रस्ट के प्रबंध ट्रस्टी/अध्यक्ष श्री दिलबाग सिंह के साथ एक चयन समिति का गठन किया

और इसके अनुसरण में आवेदकों में से चयन प्रक्रिया अपनाकर अपेक्षित स्टाफ का चयन किया गया। चयनित कर्मचारियों को नियुक्ति आदेश भी जारी कर दिये गये। यह तथ्य प्रतिवादी विश्वविद्यालय को 28 अगस्त, 2006 को भी सूचित किया गया था।

(9) हालाँकि, याचिकाकर्ता ट्रस्ट द्वारा 23 मई, 2006 को कॉलेज की संबद्धता तथा अपेक्षित भुगतान / दस्तावेज के अनुदान के लिए किया गया अनुरोध अभी भी लंबित हैं और विश्वविद्यालय द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कुछ निश्चित स्पष्टीकरण मांगे गए थे और याचिकाकर्ता ट्रस्ट द्वारा विधिवत उत्तर दिया गया था। हालाँकि, प्रतिवादी विश्वविद्यालय को याचिकाकर्ता ट्रस्ट द्वारा समझाया गया कि चूंकि राज्य सरकार द्वारा कोई आपत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है था, इसलिए, संबद्धता के अनुरोध को आगे संसाधित नहीं किया जा सका।इन तथ्यों में याचिकाकर्ता ट्रस्ट ने वर्तमान याचिका के माध्यम से इस न्यायालय में याचिका दायर की है।

(10) वर्तमान याचिका में जारी प्रस्ताव की सूचना के अनुसरण में, उत्तरदाताओं ने अपने विद्वान वकीलों के माध्यम से पेशी लगाई।

(11) उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलें विस्तार से सुनी गईं।

(12) शुरुआत में, यह नोटिस करना प्रासंगिक हो सकता है कि प्रतिवादी विश्वविद्यालय की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री बलराम गुप्ता ने अदालत को सूचित किया है कि याचिकाकर्ता ट्रस्ट को सत्र 2006-07 में बी.एड पाठ्यक्रम के लिए कॉलेज चलाने के लिए दी गई सशर्त मान्यता के अनुसरण में, विश्वविद्यालय ने एक चयन समिति में शामिल होने के लिए दो व्यक्तियों को नामित किया था और उपरोक्त चयन समिति ने

उक्त कॉलेज को चलाने के लिए संकाय के कर्मचारियों को विधिवत नियुक्त किया था। इन परिस्थितियों में, श्री गुप्ता ने बहुत ही निष्पक्षता से न्यायालय को सूचित किया कि सशर्त मान्यता में निर्धारित शर्तों को कॉलेज द्वारा विधिवत पूरा किया गया है। हालाँकि, श्री गुप्ता का कहना है कि याचिकाकर्ता कॉलेज को अब तक राज्य सरकार द्वारा अनापत्ति प्रमाणपत्र नहीं दिया गया है और यही कारण है कि विश्वविद्यालय ने याचिकाकर्ता ट्रस्ट द्वारा संचालित कॉलेज को संबद्धता देने पर अंतिम निर्णय नहीं लिया है।

(13) दूसरी ओर, प्रतिवादी राज्य की ओर से उपस्थित हरियाणा के विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री अशोक जिंदल ने हमारे समक्ष आयुक्त, उच्च शिक्षा, हरियाणा द्वारा क्षेत्रीय निदेशक, एनसीटीई, उत्तरी क्षेत्रीय को संबोधित 5 जून, 2006 को जारी एक पत्र प्रस्तुत किया है। समिति, जयपुर को राज्य सरकार की ओर से सूचित किया गया कि याचिकाकर्ता ट्रस्ट के पास राज्य सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार कॉलेज चलाने के लिए कोई अलग भवन नहीं है और इसलिए, एनओसी के लिए सोसायटी के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। निर्देश पर, श्री जिंदल ने न्यायालय के ध्यान में यह भी लाया कि राज्य सरकार द्वारा नीतिगत निर्णय लिया गया है कि हरियाणा राज्य में किसी भी अन्य शिक्षा महाविद्यालयों को अनापत्ति प्रमाण पत्र न प्रदान किया जाये क्योंकि राज्य में पहले से ही ऐसे कॉलेजों की पर्याप्त संख्या है। उपरोक्त दो तथ्यों के आधार पर, श्री जिंदल ने कहा है कि राज्य सरकार ने याचिकाकर्ता ट्रस्ट द्वारा प्रस्तावित कॉलेज को अनापत्ति प्रमाण पत्र इसलिए जारी नहीं किया था।

(14) प्रतिवादियों द्वारा अपनाए गए रुख के पीछे, याचिकाकर्ता ट्रस्ट की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री राजीव आत्मा राम ने तर्क दिया है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 अपने आप में एक पूर्ण संहिता थी और उक्त अधिनियम और इसके तहत बनाए गए विनियमों ने किसी संस्थान को बीएड पाठ्यक्रम चलाने के लिए मान्यता

देने का पूरा अधिकार केवल एनसीटीई में निहित किया था और इन परिस्थितियों में, एक बार एनसीटीई द्वारा मान्यता प्रदान किए जाने के बाद, न तो राज्य सरकार और न ही किसी संबद्ध विश्वविद्यालय को इस मामले में कुछ कहने का अधिकार था। पूर्वोक्त तर्कों के समर्थन में विद्वान वरिष्ठ वकील ने भारत का सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गए निर्णय जया गोकुल एजुकेशनल ट्रस्ट *बनाम* कमिश्नर और सचिव, शासन उच्च शिक्षा विभाग, तिरुवनंतपुरम और अन्य[1] और एक हालिया निर्णय महाराष्ट्र राज्य *बनाम* संत ज्ञानेश्वर शिक्षण शास्त्र महाविद्यालय एवं अन्य[2] को रिफ़र किया। श्री राजीव आत्मा राम ने भी 5 जून, 2006 को आयुक्त, उच्च शिक्षा से एनसीटीई के क्षेत्रीय निदेशक द्वारा दिये गए संचार का विरोध किया कि सशर्त मान्यता (अनुलग्नक पी.5) जो 27 अगस्त, 2006 को प्रदान की गई थी नियुक्ति के समय से बहुत पहले की थी, और, इसलिए, अधिनियम और विनियम के प्रावधानों के संदर्भ में, यदि एक बार एनसीटीई द्वारा राज्य सरकार की उपरोक्त आपत्ति उठाई गई और उस पर विचार करके उसे मान्यता दे दी गई, तो यह माना जाएगा कि उक्त आपत्ति को समाप्त कर दिया गया है। तथ्यों के आधार पर भी, श्री आत्मा राम ने न्यायालय को सूचित किया है कि ट्रस्ट के पास कोई अलग भवन नहीं होने के संबंध में हरियाणा राज्य द्वारा उठाई गई आपत्ति तथ्यात्मक रूप से गलत थी क्योंकि ट्रस्ट ने एक विशाल भवन बनाया था जो कि बी. एड. कॉलेज चलाने के लिए पर्याप्त से अधिक था। इस संबंध में, विद्वान वरिष्ठ वकील ने उन तस्वीरों का उल्लेख किया है जिन्हें वर्तमान याचिका के साथ अनुबंध पी.11 के रूप में जोड़ा गया है और इस तथ्य का समर्थन करने के लिए तर्क के दौरान कुछ और तस्वीरें भी पेश की जो यह दर्शाती है कि याचिकाकर्ता

[1] J.T 2005 (5) S.C. 118
[2] J.T. 2006 (4) S.C. 201

ट्रस्ट/कॉलेज के पास एक बड़ी इमारत और अन्य बुनियादी ढाँचा जो है जो बी.एड कॉलेज चलाने के लिए पर्याप्त से अधिक था।

(15)हमने पार्टियों के विद्वान वकीलों द्वारा दिये ज़े प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर विधिवत विचार कर लिया है।

(16)हमने हरियाणा राज्य द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी न करने के लिए उठाई गई आपत्तियों पर भी विचार कर लिया है। हमने इस तथ्य पर भी गौर किया है कि विश्वविद्यालय को संबद्धता अनुदान न देने का एकमात्र कारण यही है कि राज्य सरकार द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया था।

(17)अधिनियम की धारा 14 और 15 के प्रावधानों के तहत, प्रत्येक संस्थान जो शिक्षक पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण की पेशकश करने का इरादा रखता है, अधिनियम के तहत मान्यता/अनुमति प्रदान करने के लिए क्षेत्रीय समिति को आवेदन कर सकता है। उपरोक्त प्रावधानों में कुछ आवश्यक शर्तें भी शामिल हैं जिन्हें पूरा किया जाना आवश्यक है और आवेदन पत्र के साथ शुल्क का भुगतान भी किया जाना आवश्यक है।

(18)अधिनियम की धारा 16 इस प्रकार है:

> **16. परिषद् द्वारा मान्यता या अनुज्ञा के पश्चात् सहबद्धक निकाय द्वारा सहबद्ध किया जाना मंजूर करना**-तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, कोई परीक्षा निकाय, नियत दिन को या उसके पश्चात् तब तक, -
>
> (क) किसी संस्था को अनंतिम या अन्यथा, सहबद्ध किया जाना मंजूर नहीं करेगा; या

(ख) किसी मान्यताप्राप्त संस्था द्वारा संचालित किसी पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण के लिए, अनंतिम या अन्यथा, परीक्षा आयोजित नहीं करेगा,

जब तक कि संबंधित संस्था ने धारा 14 के अधीन संबंधित प्रादेशिक समिति से मान्यता या धारा 15 के अधीन किसी पाठ्यक्रम या शिक्षण के लिए अनुज्ञा न प्राप्त कर ली हो ।

(19) यह विवाद में नहीं है कि अधिनियम की धारा 14 और 15 के संदर्भ में, याचिकाकर्ता ट्रस्ट ने बी.एड पाठ्यक्रम चलाने के लिए एक नया कॉलेज शुरू करने के लिए मान्यता और अनुमति देने के लिए विधिवत आवेदन किया था। उचित औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद और याचिकाकर्ता ट्रस्ट/कॉलेज के पास मौजूद बुनियादी ढांचे से संतुष्ट होने के बाद और अन्य सभी आवश्यकताओं से संतुष्ट होने पर, याचिकाकर्ता ट्रस्ट को दिनांक 27 अगस्त, 2006 के माध्यम से सशर्त मान्यता प्रदान की गई। एकमात्र आवश्यकता जिसके अधीन उक्त मान्यता दी गई थी, वह यह थी कि याचिकाकर्ता कॉलेज को विधिवत गठित समिति द्वारा एनसीटीई संबद्धता के मानदंडों के अनुसार कर्मचारियों की नियुक्ति करनी होगी और अपेक्षित योग्यता विश्वविद्यालय एवं क्षेत्रीय समिति को शपथ पत्र के साथ हस्ताक्षरित प्रति भेजकर मिनटों के बारे में सूचित करना होगा। यह विवाद में नहीं है कि उपरोक्त शर्त के अनुसरण में याचिकाकर्ता ट्रस्ट ने विश्वविद्यालय से अनुरोध किया और विश्वविद्यालय के दो नामांकित व्यक्तियों के नामांकन पर, उपरोक्त चयन समिति ने कर्मचारियों का विधिवत चयन और नियुक्ति की। यह तथ्य विश्वविद्यालय के विवाद में भी नहीं है। इस प्रकार, केवल शर्त जिसके अधीन मान्यता दी गई थी उसे पूरा किया गया। एनसीटीई द्वारा याचिकाकर्ता को दी गई उक्त मान्यता प्रभावी हो गई है।

मान्यता पत्र की एक प्रति (अनुलग्नक पी.5) प्रतिवादी विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार और हरियाणा सरकार के शिक्षा सचिव को भी संबोधित की गई थी, जिसमें उनसे कहा गया था कि वे शैक्षणिक सत्र 2006-07 की शुरुआत से पहले संबद्ध निकायू विश्वविद्यालय द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करें। इन परिस्थितियों में, एकमात्र प्रश्न जिसकी जांच की जानी बाकी है, वह यह है कि क्या एनसीटीई द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के तहत किसी कॉलेज को ऐसी मान्यता प्रदान करने पर राज्य सरकार की कोई और भूमिका थी या क्या राज्य सरकार को आपत्ति हो सकती है? एनओसी जारी नहीं किए जाने के आधार पर कॉलेज खोलने के संबंध में और क्या संबद्ध विश्वविद्यालय ऐसे मान्यता प्राप्त कॉलेज के अनुरोध को केवल इस आधार पर अस्वीकार कर सकता है कि संबंधित एनओसी राज्य सरकार द्वारा जारी नहीं की गई थी।

(20) हमारी सुविचारित राय में, अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, विशेष रूप से अधिनियम की धारा 16 के आलोक में और संत ज्ञानेश्वर शिक्षण शास्त्र महाविद्यालय के मामले (सुप्रा) में शीर्ष न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार, उपरोक्त प्रश्नों के उत्तर याचिकाकर्ता ट्रस्ट के पक्ष में होने चाहिए।

(21) हमने पहले ही अधिनियम की धारा 16 पर ध्यान दिया है, जब इसमें अनिवार्य रूप से संबद्ध निकाय को परिषद द्वारा मान्यता या अनुमति दिए जाने के बाद संबद्धता प्रदान करने की आवश्यकता होती है। वास्तव में, संबद्ध निकाय/विश्वविद्यालय के पास कोई विवेकाधिकार नहीं बचा है। अधिनियम और विनियमों के प्रावधानों के तहत राज्य सरकार मान्यता/अनुमति देने पर आपत्ति उठाने के लिए अधिकृत है जब आवेदक द्वारा दायर आवेदन की प्रति उसे भेज दी जाती है। उक्त आपत्ति को एनसीटीई को भेजना आवश्यक है। एनसीटीई उपरोक्त आपत्ति पर विचार करेगा, लेकिन इससे सहमत न होने का विकल्प चुन सकता है। यदि

उपरोक्त आपत्ति को एनसीटीई द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है और अधिनियम की धारा 14 और 16 के संदर्भ में अनुमति/मान्यता प्रदान की जाती है, तो राज्य सरकार की और कोई भूमिका नहीं होगी।

(22) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या करते हुए, जो एनसीटीई अधिनियम के प्रावधानों के समान हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने जया गोकुल एजुकेशनल ट्रस्ट के मामले में {सुप्रा) यह माना कि राज्य सरकार की मंजूरी प्राप्त करने के लिए कोई वैधानिक आवश्यकता नहीं थी और यदि कोई थी भी, तो यह एआईसीटीई अधिनियम के प्रतिकूल होती। मान्यता प्रदान करने से पहले केवल राज्य सरकार के विचार प्राप्त करना आवश्यक था।

(23) इसके लिए राज्य सरकार की मंजूरी की आवश्यकता नहीं थी। एक बार एआईसीटीई द्वारा अनुमति मिल जाने के बाद, विश्वविद्यालय को राज्य सरकार से किसी अनुमोदन की प्रतीक्षा किए बिना संबद्धता प्रदान करने की आवश्यकता थी।

(24) **संत दनयनेश्वर शिकशान शास्त्र महाविद्यालया** के मामले (सुप्रा) में हाल ही एक फैसले में, एनसीटीई अधिनियम के प्रावधानों से निपटने के दौरान शीर्ष अदालत ने माना है कि राज्य सरकार नीतिगत निर्णय नहीं ले सकती थी और न ही राज्य विधानमंडल के पास अधिनियम बनाने की कोई शक्ति थी। केंद्रीय अधिनियम के प्रतिकूल कानून में राज्य सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है या इसे अधिकृत करने से अनुमति देने से इंकार कर दिया जाता है।

(25) उक्त निर्णय में शीर्ष न्यायालय द्वारा की गई निम्नलिखित टिप्पणियों पर ध्यान दिया जा सकता है:

> "48. मौजूदा मामले में, माना जाता है कि संसद ने 1993 अधिनियम बनाया है, जो लागू है। अधिनियम की प्रस्तावना पूरे

देश में शिक्षक शिक्षा प्रणाली के नियोजित और समन्वित विकास को प्राप्त करने, शिक्षक शिक्षा प्रणाली में मानदंडों और मानकों के विनियमन और उचित रखरखाव के उद्देश्य से उससे जुड़े मामलों के लिए राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) की स्थापना का प्रावधान करती है। उस उद्देश्य को प्राप्त करने की दृष्टि से, केंद्र सरकार द्वारा चार स्थानों पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना की गई है। इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि यह क्षेत्र पूरी तरह से संसद के एक अधिनियम तथा अनुसूची VII की सूची 1 की प्रविष्टि 66 द्वारा पूरी तरह से कवर कर लिया गया है। इसलिए, राज्य विधानमंडल के लिए उक्त क्षेत्र में अतिक्रमण करना संभव नहीं है। संसद अकेले ही उचित कानून बनाकर शक्ति का प्रयोग कर सकती थी। इन परिस्थितियों में, राज्य सरकार के लिए यह नहीं है कि वह राज्य अधिनियम या 'नीतिगत विचार' पर भरोसा करते हुए अनुमति देने से इनकार कर दे।

XXXX XXXX XXXX XXXX

53. हालाँकि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए, कि हमारे अनुसार, अंतिम अधिकार एनसीटीई के पास है और इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों द्वारा उस दृष्टिकोण को अपनाने में हमें समर्थन प्राप्त है, इसी वजह से एनसीटीई को उचित निर्णय लेने में राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र की अनुपस्थिति के बावजूद अधिनियम के तहत उसके अधिकार या शक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है। इसलिए, जहां तक एनसीटीई की शक्ति का संबंध है, वहाँ संस्था द्वारा एनओसी की अनुपस्थिति या गैर-उत्पादन अब तक सारहीन और अप्रासंगिक था।

XXXX XXXX XXXX XXXX

57. इस प्रकार स्पष्ट है कि केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर माध्यमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा के विषय पर विचार किया है। 1993 के अधिनियम के तहत संसद को पूरे देश में शिक्षक शिक्षा प्रणाली पर विचार करने की भी आवश्यकता है। इसलिए, हमारी राय में, एनसीटीई से नए बी.एड. की स्थापना के लिए आवेदनों पर विचार करने की या 1993 के अधिनियम और देश में शिक्षक-शिक्षा प्रणाली के नियोजित और समन्वित विकास को ध्यान में रखते हुए कॉलेजों या प्रवेश क्षमता में वृद्धि की अनुमति देने की अपेक्षा की जाती है। यह न तो राज्य सरकार और न ही किसी विश्वविद्यालय के लिए स्थानीय परिस्थितियों पर विचार करने या अनुमति से इनकार करने के लिए 'राज्य नीति' लागू करने के लिए खुला है। वास्तव में, जैसा कि इस न्यायालय ने यहां ऊपर उल्लिखित मामलों में कहा है, राज्य सरकार के पास किसी संस्था की प्रार्थना को अस्वीकार करने या एनसीटीई के निर्णय को खारिज करने की कोई शक्ति नहीं है। राज्य सरकार की कार्रवाई; इसलिए, यह कानून के विपरीत थी और उच्च न्यायालय द्वारा इसे सही रूप से रद्द कर दिया गया है।"

(26) शीर्ष अदालत ने कहा कि दिशानिर्देश और नियमों के अनुसार राज्य सरकार को आवश्यक डेटा और सामग्री एकत्र करने और उसे एनसीटीई को उपलब्ध कराने की अनुमति दी गई, ताकि वह 1993 अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उचित निर्णय लेने में सक्षम हो सके। अंतिम निर्णय केवल एनसीटीई द्वारा लिया जा सकता है और एक बार एनसीटीई द्वारा निर्णय लेने के बाद, इसे अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में सभी

अधिकारियों द्वारा लागू किया जाना चाहिए। एक बार कॉलेज द्वारा एनसीटीई को 1993 अधिनियम के तहत आवेदन हो जाने के बाद और अधिनियम के प्रावधान का अनुपालन करने के बाद, एनसीटीई द्वारा अनुमति दी गई थी और इसके बाद राज्य सरकार उक्त निर्णय में हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी।

(27) संत ज्ञानेश्वर शिक्षण शास्त्र महाविद्यालय के मामले (सुप्रा) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून वर्तमान मामले में शामिल विवाद को पूरी तरह से कवर करता है। इस प्रकार, यह माना जाना चाहिए कि एक बार एनसीटीई द्वारा याचिकाकर्ता ट्रस्ट को बी.एड कॉलेज चलाने के लिए अनुशंसा दे दी गई, तो राज्य सरकार से कोई और एनओसी की आवश्यकता नहीं थी और मान्यता प्रदान करने के लिए, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय भी याचिकाकर्ता ट्रस्ट द्वारा संचालित कॉलेज भी संबद्धता अनुदान के लिए बाध्य है।

(28) उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, प्रतिवादी महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक को शैक्षणिक सत्र 2006-07 के लिए बीएड पाठ्यक्रम के लिए याचिकाकर्ता ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थान को संबद्धता प्रदान करने का निर्देश दिया जाता है। हालाँकि, उपरोक्त संबद्धता पूरी तरह से अनंतिम होगी और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा दी जाने वाली स्थायी मान्यता के अधीन होगी। याचिकाकर्ता ट्रस्ट द्वारा संचालित कॉलेज शैक्षणिक सत्र 2006-07 के लिए छात्रों को बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश देने के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने का भी हकदार होगा।

(29) हरियाणा राज्य को याचिकाकर्ता द्वारा संचालित संस्थान को उन संस्थानों की सूची में शामिल करने का भी निर्देश दिया गया है, जिनके लिए शैक्षणिक सत्र 2006-07 में बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए काउंसलिंग आयोजित की जानी है।

(30) आदेश की एक प्रति अत्यावश्यक प्रतिलिपि के लिए शुल्क के भुगतान पर दी जाएगी।

अस्वीकरण : *स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।*

अवंतिका
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
करनाल, हरियाणा